

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सिंचाई प्रकरण संख्या 122/2017(GCMS No. : 2017/00224)

रितू वधवा पत्नी राजेन्द्र वधवा जाति अरोड़ा, प्रोपराईटर फर्म निश्चल फैंब
दुकान नम्बर 20-21 न्यू क्लॉथ मार्केट, निवासी 2 बी 25 सुखाड़िया नगर,
श्रीगंगानगर

बनाम

1. सुची गुप्ता प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा
मीरा चौक, श्रीगंगानगर
2. रिता कौल डी.जी.एम. पंजाब नेशनल बैंक सर्किल कार्यालय मीरा चौक,
श्रीगंगानगर
3. अन्य षडयंत्र में शामिल अधिकारीगण पंजाब नेशनल बैंक

16.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गुरमीत टक्कर एवं अप्रार्थी
के अधिवक्ता श्री विपिन सिद्ध को बार आवाज़ लगाई गई, परन्तु वे स्वयं
अथवा उनके प्रतिनिधि कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

गत पेशी पर भी पक्षकारों को आवाज़ लगाने पर कोई उपस्थित नहीं
हुआ था। चूंकि उभयपक्षकारों को बार-बार आवाज़ लगाने पर भी उपस्थित
नहीं हुए हैं और काफी समय से प्रार्थीगण स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि
न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारान्
को उक्त प्रकरण को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए प्रकरण
को इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण
अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब
तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर
खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर